

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2016—चैत्र 16, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. 52-112-इकीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 अप्रैल 2016 को
राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१६.

[दिनांक ५ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा ८ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) की धारा ८ में, उपधारा (३) में,

शब्द "साठ दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "एक कार्य दिवस के भीतर" स्थापित किए जाएं।

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. 52-112-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2016

THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 5th April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th April, 2016].

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 8.

2. In Section 8 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), in sub-section (3), for the words "within sixty days", the words "within one working day" shall be substituted.